nafed
A Farmers' Cooperative
...Since 1958

मु.का./बोर्ड/9/9/2024-25

16 अगस्त, 2024

नेफेड के सामान्य निकाय के सभी पात्र
सदस्य संघों/समितियों के प्रतिनिधिगण

विषयः नेफेड की 67वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक 13 सितम्बर, 2024 को प्रातः 11.00 बजे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ सभागार, नई दिल्ली में होनी निश्चित।

महोदय/महोदया,

हमें आपको सूचित करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि नेफेड की 67वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक 13 सितम्बर, 2024 को प्रातः 11.00 बजे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ सभागार, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली 110 016 में होनी निश्चित हुई है।

2. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 की धारा 38(3) के अनुसार सदस्य संघ केवल अपने अध्यक्ष या प्रेसिडेंट अथवा मुख्य कार्यकारी अथवा ऐसी समिति या संघ के निदेशक मंडल के सदस्य के माध्यम से ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। किंतु जहां पर किसी कारणवश कोई निदेशक मंडल नहीं है ऐसी सदस्य समिति या बहुराज्य सहकारी समिति अपने प्रशासक, चाहे उसे किसी नाम से पुकारते हों, को उस प्रयोजन के लिए नामित करें तदनुसार उनसे अनुरोध है कि आप अपने नामित/प्रतिनिधि को 13 सितम्बर, 2024 को होने वाली नेफेड की अगली वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में सक्षम प्राधिकारी के नामांकन दस्तावेजों को जिला/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां या अपने क्षेत्र के सहकारी बैंक की शाखा द्वारा सत्यापित कराकर भाग लेने का परामर्श दें।

3. बैठक की कार्यसूची निम्न प्रकार से है:-

1) 22 सितम्बर, 2023 को हुई पिछली सामान्य निकाय की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।
2) सामान्य निकाय की 22 सितम्बर, 2023 को हुई वार्षिक बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा पर विचार।
3) वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.2024) के दौरान नेफेड द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ के निपटान और विशिष्ट भण्डार और अन्य निधियों के निर्माण पर विचार करना।
4) वर्ष 2024-25 के लिए नेफेड के वार्षिक व्यवसाय बजट पर विचार।
5) वर्ष 2024-25 के लिए संघ के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर विचार करना।
6) वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ हानि लेखा पर की गई टिप्पणियों के अनुपालन पर विचार।
7) नेफेड की अधिकतम ऋण सीमा के नियतन पर विचार।
8) उन कर्मचारियों की सूची जो निदेशक मंडल के सदस्यों या मुख्य कार्यकारी के संबंधी हैं।
9) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य किसी विषय पर विचार।

सामान्य निकाय बैठक की कार्यसूची पृथक तौर पर प्रेषित की जाएगी।

4. प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए 12 सितम्बर 2024 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक नेफेड भवन, सिद्धार्थ इन्कलेव, आश्रम चौक, नई दिल्ली में पंजीकरण काउंटर कार्य करेंगे। बैठक स्थल पर भी 13 सितम्बर, 2024 को प्रातः 08.00 बजे से प्रतिनिधियों के लिए पंजीकरण काउंटर कार्य करेंगे।

5. अतः प्रतिनिधियों को परामर्श दिया जाता है कि काउंटर छोड़ने से पहले भुगतान काउंटर पर निम्नलिखित मापदण्डों के अनुसार दावों/बिलों का निपटान स्वीकार करें, जो सभी बिलों/दावों के लिए अंतिम निपटान होगा। वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में भाग लेने वाले वाले प्रतिनिधियों को निम्नलिखित यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि का भुगतान किया जाएगा।

रेल किरायाः प्रतिनिधियों द्वारा घोषित स्थान के समीपस्थ आने और जाने के लिए ए.सी.-II टियर के दो सिंगल रेल किराए, यदि कोई प्रतिनिधि इससे उच्च श्रेणी में यात्रा करता है तो उसका दावा ए.सी.-II टियर के किराए तक ही सीमित होगा।

प्रासंगिकः एक अतिरिक्त ए.सी.-II टियर का रेल किराया जिसमें समीपस्थ रेलवे स्टेशन/बस स्टैण्ड पर ठहरने और वहां से सामान्य निकाय की बैठक के स्थान पर जाने और आने का व्यय तथा यात्रा के दौरान किया गया अन्य व्यय शामिल है।

दैनिक भत्ताः 1000/- रुपये प्रतिदिन, किंतु दो दिन से अधिक नहीं, यथा अधिकतम 2000/- रुपये।

6. आपसे अनुरोध है कि अपनी सुविधा एवं सुचारू पंजीकरण के लिए पंजीकरण कराते समय कृपया अपनी पंजीकरण/समिति की सदस्यता संख्या का उल्लेख करें।

7. यदि नेफेड की सामान्य निकाय की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधि का नामांकन प्राप्त नहीं होता अथवा प्रतिनिधि के नाम में अंतिम क्षणों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो नए नामित प्रतिनिधि अपने साथ समिति का नया प्रस्ताव लाएं जो कि क्षेत्र के जिला/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां या अपने क्षेत्र के सहकारी बैंक के प्रबंधक से उनकी कार्यालयीन मोहर सहित सत्यापित होना चाहिए तथा पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए।

8. आप से अनुरोध है कि बैठक में भाग लेने की कृपा करें तथा आपसे यह भी अनुरोध है कि प्रमाणिकता की पुष्टि के लिए अपने वैध प्रमाणपत्र अपने साथ लाएं।

सधन्यवाद।

भवदीय

हस्ता/-

(रितेश चौहान)

प्रबंध निदेशक

संलग्नः उपरोक्तानुसार

प्रतिः केंद्रीय पंजीयक, सहकारी समितियां, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, अटल अक्षय ऊर्जा भवन लोधी रोड़, नई दिल्ली 110 003 : सूचनार्थ।

नामांकन नमूना प्रस्ताव की प्रति

प्रतिनिधि का फोटो

निदेशक मण्डल/प्रबंध समिति
के प्रस्ताव की प्रति (समिति का नाम)---
बैठक की दिनांक-----------------------
कार्यसूची सं0------------

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड)नई दिल्ली की सामान्य निकाय की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि का नामांकन

प्रस्ताव सं0-----------
प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री/श्रीमती---आयु--------
सुपुत्र/पत्नी श्री---
पदनाम---
समिति का पता --
---पन कोड-------------------- जिला--------------------
ई-मेल पता:--फोन न0--------------------------

को समिति/संघ की ओर से नेफेड की सामान्य निकाय की बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया जाता है। उन्हें निर्वाचन में खड़ा होने, मतदान करने और यदि आवश्यक हो तो निर्वाचन से अपना नाम वापिस लेने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। वे------------वर्ष तक या दूसरे प्रस्ताव के द्वारा नए प्रतिनिधि का नामांकन होने तक हमारे प्रतिनिधि बने रहेंगे।

बैठक के अध्यक्ष/प्रस्तुति अधिकारी के हस्ताक्षर

सत्यापित प्रति/कार्यालय की मोहर

दिनांक---------------------

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर--------------------------------

अपने इलाके के जिला/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां अथवा सहकारी बैंक के प्रबंधक/शाखा प्रबन्धक अथवा जहाँ पर समिति का खाता है, के कार्यालय की मोहर सहित सत्यापित करवाएं।